संख्या- 33/2021/893 /33-3-2021-43/2010 टी०सी०

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,

अपर मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

पंचायती राज अनुभाग-3 **लखनऊः दिनाँकः22 मई, 2021**

विषयः-पंचायतों के सामान्य निर्वाचन-2021 के पश्चात संघटित ग्राम पंचायतों की प्रथम बैठक दिनाँक 27 मई, 2021 को आयोजित किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

ग्राम पंचायतों के सामान्य निर्वाचन, 2021 के पश्चात उनके संघटन तथा पंचायत पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण विषयक शासनादेश संख्या-32/2021/865/33-3-2021-43/2010टी०सी०, दिनांक- 22 मई, 2021 निर्गत किया गया है। ग्राम पंचायतों के सामान्य निर्वाचन के पश्चात प्रदेश में संघटित समस्त ग्राम पंचायतों के कार्यकाल में समानता लाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में संघटित समस्त ग्राम पंचायतों की प्रथम बैठक दिनाँक 27 मई, 2021 को आहूत की जाए।

2- उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली के नियम-31 तथा 32 में दी गयी व्यवस्थाओं के अनुसार ग्राम पंचायत प्रधान द्वारा शपथ ग्रहण के बाद ग्राम पंचायत की दिनाँक 27 मई, 2021 को बैठक हेतु समय व स्थान(यथासंभव पंचायत भवन/सामुदायिक भवन) उल्लिखित करके प्रथम बैठक की नोटिस जारी करते हुए समस्त ग्राम पंचायत सदस्यों को लिखित रूप से नोटिस तामिल करा दी जाए तथा नोटिस की एक प्रति पंचायत भवन जैसे सार्वजनिक स्थान पर भी चस्पा कर दी जाए। इस बैठक में मुख्य रूप से कोविड-19 के दृष्टिगत उत्पन्न परिस्थितियों व कारगर तरीके से इसके समाधान के विषय पर चर्चा की जाय। चर्चा में आए मुख्य बिन्दु व सुझाव को संकलित कर पंचायतीराज निदेशालय के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जाय। प्रथम बैठक के एजेण्डा में ग्राम पंचायत की 6 समितियों के गठन की कार्यवाही का बिन्दु भी रखा जाए और यथासम्भव प्रथम बैठक में ही समितियां गठित करा दी जाए।बैठक में कविड-19 के प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए|

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्तानुसार दिनाँक 27 मई, 2021 को जनपद की समस्त संघटित ग्राम पंचायतों की प्रथम बैठक अनिवार्य रूप से आयोजित कराते हुए अनुपालन आख्या निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 को दिनाँक 28 मई, 2021 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(**मनोज कुमार सिंह**)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक- तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. अपर मुख्य सचिव, महिला कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. अपर मुख्य सचिव, पशु धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश।
10. निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश को समाचार पत्र में नि:शुल्क प्रकाशन हेतु।
12. आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
13. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
14. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
15. समस्त मण्डलीय उप निदेशक (पंचायत), उत्तर प्रदेश।
16. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(**मनोज कुमार सिंह**)
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in